न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/1389

1. लाडकंवर पत्नि बद्रीसिंह निवासी प्लॉट नम्बर 27–ए नन्दगांव कॉलोनी लक्ष्मीनगर निवारू रोड झोटवाडा जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. भंवरकंवर पत्नि योगेन्द्रसिंह निवासी 56–बी माथुर वैश्यनगर, राममंदिर सीताबाडी टोंकरोड जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर आदेश दिनांक 03.06.2025 अपील संख्या 409/2024 बउनवानी भंवरकंवर बनाम लाडकंवर वगै0 जिसके द्वारा भंवरकंवर की अपील स्वीकार कर तहसीलदार चौमू द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 19.06.223 को निरस्त कर दिया गया तथा नामा0 संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को बहाल कर दिया गया।

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा वकील अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र सिंह राजावत वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–16.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 03.06.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के समक्ष तहसीलदार चौमू द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 19.06.2023 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर द्वारा तहसीलदार चौमू रिव्यू आदेश दिनांक 19.06.2023 को निरस्त कर नामा0 संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को बहाल किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2025 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 03.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.06.2025 को निरस्त करते हुये तहसीलदार चौमू द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक

19.06.2023 को बहाल रखे जाने एवं नामा0 संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम देवपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर में अपीलांट की सह–खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि नया खाता संख्या 113 में खसरा नं. 602/1107, 663/1125, 670, 671, 672/1167, 673, 678/1127, 708/1140, 709, 710 व 71 कुल किता 11 कुल रकबा 2.48 है0 तथा खाता संख्या नया 114 में खसरा नं. 751, 824, 826, 827, 828, 829 कुल किता 6 कुल रकबा 2.15 है0 स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलांट की पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि है एवं दर्ज रिकार्ड चली आ रही है एवं अपीलांट मौके पर काबिज काश्तकार है। लाडकंवर ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के समक्ष दिनांक 13.10.2022 को एक दावा संख्या 174/2022 बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दायर किया था, जो विचाराधीन है। दिनांक 07.12.2022 को उक्त वाद संख्या 174/2022 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 विचाराधीन रहने के दौरान हस्तगत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरकंवर व उसके पति योगेन्द्रसिंह व इनके क्लाईण्ट छोटूराम ने हस्तगत अपीलाण्ट लाडकंवर व उसके पति बद्रीसिंह के साथ छल–कपट व धोखा करते हुए इकरारनामा के स्थान पर कपटपूर्ण विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2022 को करवा लिया।

अपीलाण्ट लाडकंवर की ओर से रेस्पोडेण्ट भंवरकंवर वगै0 के विरुद्ध दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौमूं जिला जयपुर के समक्ष एक दावा बाबत् निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2022 (पंजीयन दिनांक 09.12.2022) एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था। जिस पर दिनांक 18.08.2025 को बाद बउनवानी लाडकंवर बनाम भंवरकंदर वगैरह दर्ज रजिस्टर होकर विचाराधीन है, जिसमें उक्त विक्रय पत्र की वैधता का निस्तारण होना है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरकंवर वगै0 द्वारा एक सहमति पत्र की कूटरचना भी की गई है, इसका निस्तारण भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उक्त दीवानी वाद में ही किया जाना है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2022 (पंजीयन दिनांक 09.12.2022) के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरकंवर ने तहसीलदार, चौमूं से विवादित नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 स्वीकृत करवा लिया था तथा बाद में रिव्यु आदेश दिनांक 19.06.2023 पारित फरमा कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को निरस्त कर दिया गया और अपीलाण्ट लाडकंवर के पक्ष में पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 14.07.2023 स्वीकृत करके अपीलाण्ट लाडकंवर के पक्ष में खातेदारी प्रविष्टियां बहाल कर दी गई। भंवरकंवर के नाम से नामान्तरकरण संख्या 743 प्रक्रियाधीन होने की जानकारी अपीलाण्ट लाडकंवर व उसके पति को होने पर अपीलाण्ट लाडकंवर व उसके पति ने दिनांक 19.01.2023, 23.02.2023, 15.03.2023, 18.03.2023, 02.05.2023 को श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर तथा श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, जयपुर तथा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चौमूं एंव श्रीमान् तहसीलदार, चौमूं तथा श्रीमान् हल्का पटवारी जयसिंहपुरा तथा श्रीमान् सरपंच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा को समय–समय पर विभिन्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्तियां पेश की गई थी । अपीलाण्ट लाडकंवर की उक्त आपत्तियो के कारण सरपंच द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किये जाने पर पत्रावली श्रीमान् तहसीलदार, चौमूं के समक्ष लम्बित हो गई परन्तु अपीलाण्ट की आपत्तियो के कारण तहसीलदार, चौमूं द्वारा भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके पति ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.12.2022 पेण्डिग रहते हुए दूसरे नवीन प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.05.2023 के आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 20.05,2023 स्वीकृत करवा लिया। जो कानूनन गलत, अवैध व विधि विरूद्ध है। तहसीलदार, चौमूं के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरकंवर का आवेदन दिनांकित 22.12.2022 भी पेण्डिग एवं अनिर्णीत है। उक्त आवेदन दिनांकित 22.12.2022 के पेन्डिग व अनिर्णीत रहने की अवस्था में नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 स्वीकृत किया गया था जो गैरकानूनी व विधि विरूद्ध है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय को धारा 135 (2) की कार्यवाही में पारित आदेश के विरूद्ध अपील श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। माननीय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के यहाँ विचाराधीन उक्त वाद एंव अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में हस्तगत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरकंवर ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० पेश कर वादिया संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु निवेदन किया। जो कि न्यायालय द्वारा धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का स्पष्ट उल्लंघन होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं द्वारा पारित उक्त निर्णय के आधार पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भंवरकंवर की प्रथम अपील खारिज करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.06.2025 को निरस्त करते हुये तहसीलदार चौमू द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 19.06.2023 को बहाल रखे जाने एवं नामा0 संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को खारिज किये जाने के आदेश फरमाये जावें। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

माननीय राज0 उच्च न्यायालय डब्लयू.एल.सी. 2007(5) पेज नं. 423:–एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 2844/1999 उनवानी पारसमंल व अन्य बनाम श्रीमती शोभा देवी व अन्य, निर्णय दिनांक 14.12.2006 में वाद के लम्बित रहते उसी सम्पत्ति के विक्रय पत्र का निष्पादन–विक्रय शून्य है तथा विक्रय पत्र के रद्धकरण के लिए वाद आवश्यक नहीं है।

माननीय राज0 उच्च न्यायालय 2013(1) आर.आर.टी पेज में क्रेता द्वारा वाद में विचाराधीन सम्पत्ति क्रय किये जाने पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उसका यह आचरण सद्भावी नहीं है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को तहसीलदार धारा 85–ए लेंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिव्यू कर खारीज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि धारा 85–ए के तहत तहसीलदार अथवा अन्य किसी भी राजस्व न्यायालय को नामान्तकरण जैसे न्यायिक मामलों के रिव्यू की अधिकारिता नहीं है। जब तक सिविल कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक वह पूर्णतः वैध व प्रभावी है व उसके आधार पर नामान्तकरण खोला जाना उचित है। भंवरकंवर द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमूं के आदेश दिनांक 06.2.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या 1425/2025 को स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 06.02.2025 को निरस्त करते हुये भंवरकंवर को एस.डी.ओ. चौमूं के समक्ष विचाराधीन मूल वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी 'लाडकंवर बनाम शम्भुसिंह वगै0' में बतौर 'वादी' पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस प्रकार राजस्व मंडल द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2025 के प्रकाश में अपीलांट द्वारा इस अपील में उठाई गई

सभी आपत्तियां अविधिक व अस्वीकार्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमूं के समक्ष दायर वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी 'लाडकंवर बनाम शिम्भूसिंह व अन्य दिनांक 28.7.2025 को खारिज किया जा चुका है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी को सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त करते हुये जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर चुकी है। उसके द्वारा पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर लिये जाने सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर मौजूद है। उक्त विक्रय पत्र वैध व प्रभावी दस्तावेज है जो आज तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 भवंरकंवर के नाम से नामान्तकरण संख्या 743 उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया था। जिसके प्रति आपत्ति करने का अपीलांट लाडकंवर को कोई अधिकार नहीं रहा है। अपीलांट लाडकंवर व उसका पति बद्रीसिंह स्वयं के द्वारा दायर दावे को वापस लिये जाने हेतु दिनांक 07.12.2022 को ही सहमति पत्र निष्पादित कर चुके थे किन्तु बाद में उन्होने बदनियति से अपीलांट के पति के चेक अनादरण के केसों में सजा से बचने व चेक की राशि हडपने के उद्देश्य से नामान्तकरण को चुनौति दी ताकि रेस्पोडेंट सं01 की जमीन हडप सके। उक्त आराजी दिनांक 07.12.2022 को अपीलांट द्वारा विक्रय करना तय कर उसी दिन सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि 8,00,000/– आठ लाख रूपये नकद व जरिये चेक प्राप्त कर उपपंजीयक तृतीय (झोटवाडा) जयपुर के समक्ष अपने पति व पुत्र के साथ उपस्थित होकर विक्रय पत्र को पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र में अपीलांट का पति बद्रीसिंह गवाह है। विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 20.05.2023 को नामान्तकरण सं0 743 के रूप में स्वीकृत कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया। अपीलांट' लाडकंवर व उसके पति बद्रीसिंह राव ने दिनांक 30.5.2023 को तहसीलदार चौमूं के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 85 (ए) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रिव्यू आवेदन पर बिना किसी कानूनी प्रावधान के बिना रेस्पोडेंट भंवरकंवर को नोटिस/सम्मन जारी किये बिना सूचना दिये दिनांक 19.6.2023 के आदेश द्वारा हाल अपीलांट लाडकंवर का उक्त रिव्यू आवेदन स्वीकार कर प्रार्थिया रेस्पोडेंट सं01 भवंरकंवर के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खुले नामान्तकरण को खारीज कर नामान्तकरण सं0 743 में पुनः इन्द्राज करते हुये भूमि को पुनः लाडकवंर के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया व बिना प्रार्थिया को सूचना दिये तत्काल ही जमाबंदी में भूमि लाडकंवर के नाम से दर्ज कर दी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व विधि के प्रावधानों का अवलोकन कर यह माना कि 'तहसीलदार चौमूं को रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। लाडकंवर ने जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है उसमें भी 1/18 हिस्सा व 1/21 का ही विक्रय किया है एवं जिस बढे हुये हिस्से के सम्बन्ध में उसने दावे में घोषणात्मक अनुतोष चाहा है उसका उसने कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। इस प्रकार लाडकंवर द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय पत्र तथा लाडकंवर द्वारा एस.डी.ओ. चौमूं में पेश वाद में लाडकवंर के जमाबन्दी में दर्ज 1/18 व 1/21 हिस्से की भूमि का कोई विवाद नहीं है न हीं किसी भी प्रतिवादी ने कोई विवाद किया है। लाडकंवर ने जो हिस्सा विक्रय किया वह उसका स्वंय का हिस्सा है जो किसी प्रकार से उक्त वाद में प्रभावित नहीं है । अपीलांट लाडकंवर द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र के अधीन की भूमि के स्वत्व व हिस्से को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था व वह पूरी तरह अविवादित थी। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.06.2025 द्वारा विधिवत् सभी रिकॉर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन करके ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित एवं विधिसम्मत है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण विक्रय उचित प्रतिफल प्राप्त करते हुये जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2022 (पंजीयन दिनांक 09.12.2022) से विक्रय कर चुकी है। तहसीलदार चौमूं द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 भवंरकंवर के नाम से नामान्तकरण संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को तस्दीक किया गया। उक्त रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु अपीलाण्ट लाडकंवर द्वारा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चौमूं जिला जयपुर के समक्ष एक दावा बाबत् निरस्तीकरण विक्रय पत्र एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। उक्त विक्रय पत्र जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक वह पूर्णतः वैध एवं प्रभावी दस्तावेज है। तहसीलदार चौमूं द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रकरण को अंतर्गत धारा 85ए के तहत् अपने रिव्यू आदेश दिनांक 19.06.2023 द्वारा रेस्पोडेंट भंवरकंवर को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण 743 को खारिज किये जाने के आदेश दिये गये, जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। तहसीलदार को अंतर्गत धारा 85 ए के तहत् रिव्यू करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। लाडकंवर ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के समक्ष एक दावा संख्या 174/2022 बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 89, 53, 188 के तहत दायर किया, जो कि खाता संख्या 114 में उसका 1/21 हिस्से के स्थान पर हिस्सा बढाकर 1/18 हिस्से किये जाने के संबंध में किया गया था अर्थात् बढे हुये हिस्से के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी चौमूं के समक्ष दावे के माध्यम से घोषणात्मक अनुतोष चाहा है। लाडकंवर ने जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है उसमें भी 1/18 हिस्सा व 1/21 का ही विक्रय किया है एवं जिस बढे हुये हिस्से के सम्बन्ध में उसने दावे में घोषणात्मक अनुतोष चाहा है उसका उसने कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। इस प्रकार लाडकंवर द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय पत्र की भूमि का कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर द्वारा तहसीलदार चौमू के रिव्यू आदेश दिनांक 19.06.2023 को निरस्त कर नामा0 संख्या 743 दिनांक 20.05.2023 को बहाल किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्मत हैं। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर का निर्णय दिनांक 03.06.2025 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर